भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 349
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीआरएमपी चरण-III

†349. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चरण-III के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) का नवीनीकरण किया है और यदि हां, तो उक्त चरण-III के दायरा, उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या हैं;
(ख) उक्त परियोजना के प्रारंभ होने के बाद से एनसीआरएमपी के तहत राज्यवार, चरणवार और वर्षवार कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;
(ग) उक्त परियोजना के तहत सृजित भौतिक अवसंरचनाओं जैसे चक्रवात आश्रयों, खारे तटबंधों और प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणलियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(घ) एनसीआरएमपी के तहत सृजित अवसरंचना के दीर्घकालिक रख-रखाव और प्रचालन संबंधी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): नहीं महोदय।

(ख) से (घ): एनसीआरएमपी को दो चरणों में 8 तटीय राज्यों में लागू किया गया था। चरण-I के तहत, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को कवर किया गया था और चरण-II के तहत, छह राज्यों यानी गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को कवर किया गया था।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 349, दिनांक 04.02.2025

परियोजना के प्रारंभ होने के बाद से एनसीआरएमपी के अंतर्गत वितरित कुल धनराशि का राज्यवार, चरणवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है तथा एनसीआरएमपी के अंतर्गत सृजित भौतिक अवसंरचनाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

एनसीआरएमपी के तहत बनाए गए भौतिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और स्थिरता की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। एनसीआरएमपी के तहत, बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों (एमपीसीएस) की परिचालन स्थिरता के लिए पंजीकृत सोसायटी के रूप में चक्रवात आश्रय रखरखाव और प्रबंधन समितियों (सीएसएमएमसी) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे नियमित रखरखाव के लिए सीएसएमएमसी को एकमुश्त धनराशि (5 लाख रुपये) जारी करें तथा इस धनराशि को दीर्घकालिक रखरखाव के लिए राज्य बजट में निर्धारित करें।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 349, दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक-I

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

चरण-I	राज्य को जारी सहायता अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)							
राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 के बाद अतिरिक्त वित्तपोषण	**कुल**
आंध्र प्रदेश	8.57	59.21	47.76	135.15	95.03	204.45	489.60	**1039.77**
ओडिशा	20.03	20.03	44.84	84.42	154.97	273.00	320.70	**917.99**
							कुल	1957.76

चरण-II	राज्य को जारी सहायता अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)								
राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	**कुल**
गोवा	-	24.16	11.56	2.44	-	23.11	10.84	11.39	**83.50**
केरल	0.44	6.00	2.09	9.30	4.31	20.46	53.19	19.30	**115.09**
कर्नाटक	1.20	11.25	37.36	14.50	34.95	0.75	14.00	14.02	**128.03**
गुजरात	89.37	85.65	1.67	33.17	60.03	22.00	11.60	22.99	**326.48**
महाराष्ट्र	4.87	29.25	8.89	1.00	54.04	4.00	69.29	27.77	**199.11**
पश्चिम बंगाल	45.45	224.75	120.97	118.80	60.67	-	-	-	**570.64**
								कुल	1422.85

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 349, दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक-II

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

आंध्र प्रदेश	पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना	
	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	219
	सड़कें (किमी)	698.02
	पुल (सं.)	35
	खारे तटबंध (किमी)	29.90
ओडिशा	पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना	
	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	316
	सड़कें (किमी)	388.50
	खारे तटबंध (किमी)	58.22
गोवा	पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना	
	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	11
	भूमिगत केबलिंग (किमी)	315
केरल	पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना	
	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	17

अनुलग्नक-II (पृष्ठ-2)

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 349, दिनांक 04.02.2025

कर्नाटक	पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना	
	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	10
	सड़कें (किमी)	48
	खारे तटबंध (किमी)	7.8
	पुल (सं.)	2
गुजरात	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	76
	सड़कें (किमी)	157
महाराष्ट्र	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	भूमिगत केबलिंग (किमी)	600.3
	खारे तटबंध (किमी)	22.26
पश्चिम बंगाल	चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
	बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)	146
	भूमिगत केबलिंग (किमी)	472.46

***